नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म ... में ...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 25/2/2021 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
.../2/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 18/3/2021 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
18/3/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 25/3/2021 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
25/3/2021	कोविड़-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/6/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखाण्ड अधिकारी, बावड़ी	
14/6/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 29/6/2021 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
29/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा पारीक, (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 89/2019

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थी
लिखमाराम पुत्र श्री धनाराम जाति जाट निवासी चिन्दड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

राजस्व मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री भीकाराम विश्नोई अधिवक्ता– प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 29-06-2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से दिनांक 19.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चिन्दड़ी पटवार क्षेत्र हतुण्डी तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में कृषि भूमि में खाता संख्या 176 खसरा सं. 154 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो मेरी खातेदारी भूमि में प्रार्थी अनपढ़ होने से प्रार्थी द्वारा कृषि ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी ने खातेदारी भूमि में रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा होना बताया तथा जमाबन्दी में राजस्व त्रुटि के कारण रकबा कम दर्ज होना तथा मौके पर रकबा ज्यादा होना बताया। जमाबन्दी में खसरा संख्या 154 रकबा 20 बीघा दर्ज होना था परन्तु खसरा संख्या 154 की चालू जमाबन्दी में रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा है। अतः राजस्व रेकर्ड में रकबा शुद्धिकरण दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार बावड़ी को मौका जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 29.06.2021 को तहसीलदार बावड़ी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बावड़ी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के कथनानुसार 20 बीघा रकबा होने का खण्डन कर 22 बीघा रकबा होना बताया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। मौका जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

आदेश

तहसीलदार बावड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी पटवार हल्का हतुण्डी की अनुशंषा के आधार पर मौजा राजस्व ग्राम चिन्दड़ी पटवार हल्का हतुण्डी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के वादग्रस्त अराजी भूमि खसरा सं. 154 का रकबा [illegible] रिपोर्ट में दर्शाये गये नक्शा तरमीम अनुसार समझा जावे। इस आज्ञा की [illegible] को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

फैसला खुले न्यायालय में दिनांक 29.06.2021 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी